सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A4-55 / 2017

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 22 नवम्बर, 2017

महोदय,

कृपया शासन की पत्रावली सं0–06/13 (63/XLI-1/13) व उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्रांक–13311 दिनांक 27–08–2012, शासन की पत्रावली सं0–74/13 (1109/XLI-1/13) व उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्रांक–17953 दिनांक 19–07–2013 शासन की पत्रावली सं0–86/15 (703/XLI-1/15) व उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्रांक–22063 दिनांक 31–10–2014 तथा पत्रांक–2330 दिनांक 08–11–2017 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय–5 की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान / कॉलेज को स्तम्भ–2 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गई है:–

| संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | प्रवेश क्षमता प्रति सत्र(सीट) | शैक्षिक सत्र (अवधि) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, रामनगर रोड़, काशीपुर। | एम0बी0ए0 | 120 | 2011–12<br>2012–13<br>2013–14<br>2014–15 |

1. संस्थान / कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

2. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन / विश्वविद्यालय / नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन / विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3. कुलाधिपति / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशो का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश / पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

6. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः........2 / –